

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/5688

दिनांक: 08.08.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका) समस्त

विषय :- नगरीय निकायों में आरक्षित मशीनों को तैयार करने संबंधी निर्देश।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर आवंटित की गई ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच के पश्चात् जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु ईवीएम मशीनों को उपलब्ध करवाने के बाद शेष ईवीएम मशीनों को रेण्डमाईजेशन के जरिये निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों एवं नगरीय निकाय स्तर पर आरक्षित मशीनों के रूप में काम लिया जायेगा।

चुनाव हेतु आरक्षित मशीनों को तैयार किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

A. नगरपालिका स्तर की आरक्षित मशीनों को तैयार करना:-

नगरपालिका स्तर की आरक्षित मशीन नगरपालिका के किस वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर काम आयेगी यह पहले से ज्ञात नहीं होता है।

उदाहरणार्थ:- किसी नगरपालिका में 20 वार्ड एवं 26 मतदान केन्द्र है तो इस नगरपालिका को मतदान केन्द्रों के 15 प्रतिशत के हिसाब से 04 मशीनें आरक्षित मशीनों के रूप में प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में मान लीजिए की वार्ड संख्या 05 के दूसरे बूथ (मतदान केन्द्र) पर आरक्षित मशीन की आवश्यकता पड़ गई है तो इस आरक्षित मशीन को नगरपालिका स्तर पर संबंधित वार्ड का बैलेट पेपर लगाकर तत्काल कैण्डिडेट सेट कर तैयार किया जायेगा। यदि MPSV/MPMV मॉडल की मशीने काम में ली जा रही है तो उस मशीन में वार्ड नं. 05 एवं बूथ नं. 02 भी एण्टर किया जायेगा। आरक्षित मशीन तैयार करने का काम तकनीकी विशेषज्ञ/कम्पनी इंजीनियर से कराया जायेगा और उस आरक्षित तैयार मशीन को जॉनल मजिस्ट्रेट के जरिए संबंधित वार्ड के मतदान केन्द्र पर तत्काल पहुँचाया जायेगा।

B. नगरपरिषद स्तर की आरक्षित मशीनों को तैयार करना:-

नगरपरिषद स्तर की आरक्षित मशीन नगरपरिषद के किस वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर काम आयेगी यह पहले से ज्ञात नहीं होता है।

उदाहरणार्थ:- किसी नगरपरिषद में 80 वार्ड एवं 200 मतदान केन्द्र है तो इस नगरपरिषद को मतदान केन्द्रों के 15 प्रतिशत के हिसाब से 30 मशीनें आरक्षित मशीनों के रूप में प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में मान लीजिए की वार्ड संख्या 17 के बूथ नम्बर (मतदान केन्द्र) 03 पर आरक्षित मशीन की आवश्यकता पड़ गई है तो इस आरक्षित मशीन को नगरपरिषद स्तर पर संबंधित वार्ड का बैलेट पेपर लगाकर तत्काल कैण्डिडेट सेट कर तैयार किया जायेगा। यदि MPSV/MPMV मॉडल की मशीने काम में ली जा रही है तो उस मशीन में वार्ड नं. 17 एवं बूथ नम्बर 03 भी एण्टर किया जायेगा। आरक्षित मशीन तैयार करने का काम तकनीकी विशेषज्ञ/कम्पनी इंजीनियर से कराया जायेगा और उस आरक्षित तैयार मशीन को जॉनल मजिस्ट्रेट के जरिए संबंधित वार्ड के मतदान केन्द्र पर तत्काल पहुँचाया जायेगा।

C. नगर निगम स्तर की आरक्षित मशीनों को तैयार करना:-

नगर निगम स्तर की आरक्षित मशीन नगर निगम के किस वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर काम आयेगी यह पहले से ज्ञात नहीं होता है।

उदाहरणार्थ— किसी नगर निगम में 150 वार्ड एवं 2200 मतदान केन्द्र हैं तो इस नगर निगम को मतदान केन्द्रों के 15 प्रतिशत के हिसाब से 330 मशीनें आरक्षित मशीनों के रूप में प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में 330 आरक्षित मशीनों को 150 वार्डों में बाँट दिया जायेगा अर्थात् प्रत्येक वार्ड को 2-3 आरक्षित मशीनें प्राप्त होगी। इन 2-3 आरक्षित मशीनों को संबंधित वार्ड के लिए पहले से ही तैयार कर रख लिया जायेगा। आरक्षित मशीन उस वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर काम आयेगी यह पहले से ज्ञात नहीं है। यदि MPSV/MPMV मॉडल की मशीनें काम में ली जा रही हैं तो आरक्षित मशीनों को तैयार करते समय वार्ड नं. तो निर्धारित है लेकिन बूथ नं. तय नहीं है तो ऐसी स्थिति में पहली आरक्षित मशीन पर बूथ नं. A01, द्वितीय आरक्षित मशीन पर बूथ नं. A02 एवं तीसरी आरक्षित मशीन पर बूथ नं. A03 एंटर कर लिया जाये। आरक्षित मशीन तैयार करने का काम तकनीकी विशेषज्ञ/कम्पनी इंजीनियर से कराया जायेगा तैयार आरक्षित मशीनें संबंधित वार्ड के जॉनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखी जायेगी जो आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वार्ड के मतदान केन्द्र पर तत्काल पहुँचायी जा सकेगी।

नोट 1:- जिस मतदान केन्द्र पर आरक्षित मशीन को उपयोग में लिया जायेगा उस आरक्षित मशीन का मतदान केन्द्र पर मॉकपोल किया जाना है। मॉकपोल में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिये जावें।

नोट 2:- प्रथम फेज के लिए आरक्षित की गई मशीनों में से जो मशीन उपयोग में नहीं ली गई है अथवा MPSV/MPMV मॉडल की मशीनें जो उपयोग में ली गई के SDMM/DMM को सील करने के पश्चात उन मशीनों का रेण्डमाईजेशन एवं कमीशनिंग कर दूसरे एवं आगे के फेजों में उपयोग किया जा सकता है।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 08.08.2026

क्रमांक.एफ. 4(1)(1)/नपा/रा.नि.आ/2024/5689-94

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(नीरज शर्मा)

सहायक सचिव